INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

04DD 733554

ATTESTED ONLY PHOTO

Advocate Civil Court AGRA

ओउम

बैनामा मालियती:- 15,00,000/- रुपया ।

सरकारी मालियत - 15,00,000/- रुपया ।

स्टाम्प मालियती - 1,50,000/- रुपया ।

मालियत रेट - 30,00,000/- रुपया प्रति हेक्टेयर ।

विवरण विक्रीत आराजी - आराजी स्थित मौजा बेरौली अहीर तहसील व जिला आगरा खातानम्बर 541 खसरा नम्बर 938 रकबाई 0.2606 हेक्टेयर

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 20000

Rs 20000

03CC 908890

/27

लगानी 6/- रुपया 5 पैसे सालाना जो कृषिकीय भूमि है जिसके आसपास 200 मीटर की परिधि में खेती होरही है जिसमें कोई पेड़ ट्यूबैल व आबादी नहीं है तथा विक्रेता व क्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है ।

विक्रेता- माखन सिंह भदौरिया पुत्र बनवारी सिंह निवासी महावीर नगर राजपुर चुंगी आगरा ।

क्रेता- श्री विष्णु ट्रेडर्स प्रा0 लि0 कमला नगर आगरा द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री प्रागयाग पुत्र श्री सीताराम निवासी अयोध्यापुरी नई आबादी कॉलोनी अवधनगर आगरा ।

--

मैं कि माखन सिंह भदौरिया पुत्र बनवारी सिंह निवासी महावीर नगर राजपुर चुंगी आगरा का हूँ ।

INDIA NON JUDICIAL

Rs 20000 RUPEES 20000 रुपये

03CC 908891

/3/

जो कि आराजी वाके मौजा बरोली अहीर तहसील व जिला आगरा खातानंबर 541 खसरानंबर 938 रकबाई 0.2604 हैक्टेयर लगानी 6/- रुपया 5 पैसे साल का है मुकिर बहैसियत इन्द्राज कागजात अहलकार माल के तहत संक्रमणीय भूमिधर मालिक काबिज काश्तकार व दखील हूँ और मेरा नाम कागजात सरकारी में बहैसियत मालिक के दर्ज है और मुझको बहैसियत तनहा मालिक के उक्त आराजी की कामिल पूर्ण हक मालिकाना मिल्कियत वगैरा हरकिस्म के तनहा हासिल हैं सिवाय मेरे दीगर हकदार व हिस्सेदार वगैरा किसी तरह का आराजी मजकूर में नहीं है जो आगे किसी तरह के हीलाहवाला

INDIA NON JUDICIAL

Rs 20000 रुपये

03CC 906892

/4/

वगैरह काहीले और उक्त आराजी मजकूर आज तक हरप्रकार के करो व भार व इंतकालात व जुमला देनदारियों व जिम्मेदारियों वगैरह से साफ और पाक व साफ है जिसका कोई इकरारनामा किसी के हक में नहीं किया गया है जो नजूल व राजकीय आरक्षित सम्पत्ति नहीं है अब मुझको उक्त आराजी का विक्रय करना चाहते जरूरत खुद व मिलने माकूल कीमत नकद मौजूदा के मंजूर है ।

लिहाजा मैंने उक्त आराजी को अपनी राजी व खुशी से बिलाजब्रकारी सिवाये बिला दबाव किसी नाजायज के मय जुमला हक हकूक दाखिली व खारिजी के बिल एवज मुबलिग 15,00,000/- पन्द्रह लाख रुपया कि आधे जिसके मुबलिग 7,50,000/- सात लाख पचास हजार रुपया होते हैं [illegible] को [illegible]

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES

Rs 20000

20000

रुपये

0300 908893

257

घनश्याम पुत्र सीताराम निवासी अवधेशपुरी नई आबादी कथोगी कमलानगर आगरा को बैय करदी और बेचदी कीमत का कुल रुपया मैने खरीदार से हस्बतफसील बैल वसूल पाना तसलीमकरार पाया है अब बाबत जरेसमन मजकूर मेरा उक्त रुपया प्राप्त होने के बाद कुछबाकी शेष नहीं रहा न भविष्य में होगा लिहाजा कब्जा व दखल मालकाने काबिज जमीन पर आज की तारीख से खरीदार का करादिया और खरीदारको आराजी मजकूर का तनहा मालिक काबिज काबिज व दखील बनादियाअब खरीदारको अधिकार है कि वह आराजी मजकूरा पर हस्बमंशा मालिक बने रहें जैसे चाहें इस्तेमाल करें कुल अख्तियारात निस्बत आराजी मजकूर तनहा खरीदार को हक मालिकाना हासिल हैं और आईन्दा रहेंगे खरीदार अपने नाम दाखिल खारिज कागजात सरकारी में जरिए बैनामा हाजा के दर्ज करालेवे ।

RUPEES

20000

रुपये

Rs 20000 रु. INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 रु.

03CC 908894

/6/

अगर आगे उनसाल कोई नालिश दावेदारकोमी या खानदानी या नीज दीगरकिसी तरह का जिम्मेदार आराजी मजकूर में पैदा होकर दावा व झगड़ा खरीदारसे करें या उसकी वजह या किसी दीगर वजह से आराजी मजकूरका जुज व कुल कब्जा व दखल खरीदारसे निकल जायें तो ऐसी जुमला सूरतों में उस कुल की जवाबदेही व जिम्मेदारी

5000Rs.

5000रु. Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

7//

व अदायगी जरेसमन मजकूर का कुल हरजा व खर्चा व लागत के जिम्मे जातखास व जायदाद मनकूला व गैर मनकूला हर किस्म मिनजानिब व वारिसान व जानशीन कुनिन्दगान के है और होगा खरीदार अपना कुल रुपया जरिये अदालत वसूल करलेने का मुस्तहकी होगा ।

INDIA NON JUDICIAL

5000Rs.

5000रु.

Rs 5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

जारीकर्ता ग्राम [illegible] में आराजी कलक्टर रेट 30,00,000/- रूपया प्रति हेक्टेयर है जो कृषि [illegible] भूमि है जो सड़क से 30 मीटर [illegible] की दूरी पर स्थित है इस पर नियमानुसार स्टाम्प अदा किया गया है तथा स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 [illegible] का उल्लंघन नहीं किया गया है न कोई तथ्य छिपाया गया है। [illegible] भुगतान [illegible] अनुसार है :-

---

मुबलिग 3,00,000/- रुपया [illegible] वसूल पा लिए हैं व मुबलिग 12,00,000/- रुपया बजरिए दो [illegible] चैक [illegible] 6,00,000/- रुपया चैक नम्बर 605617 व 605618 [illegible] दिनांक 14/10/2005 [illegible] 15,00,000/- [illegible]

[illegible]

5000 Rs

JUDICIAL

5000 रु.

Rs 5000

भारत

पाँच हजार रुपए FIVE THOUSAND RUPEES

2 SEP 2005

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]/2005 ई० व [illegible]

5000Rs.

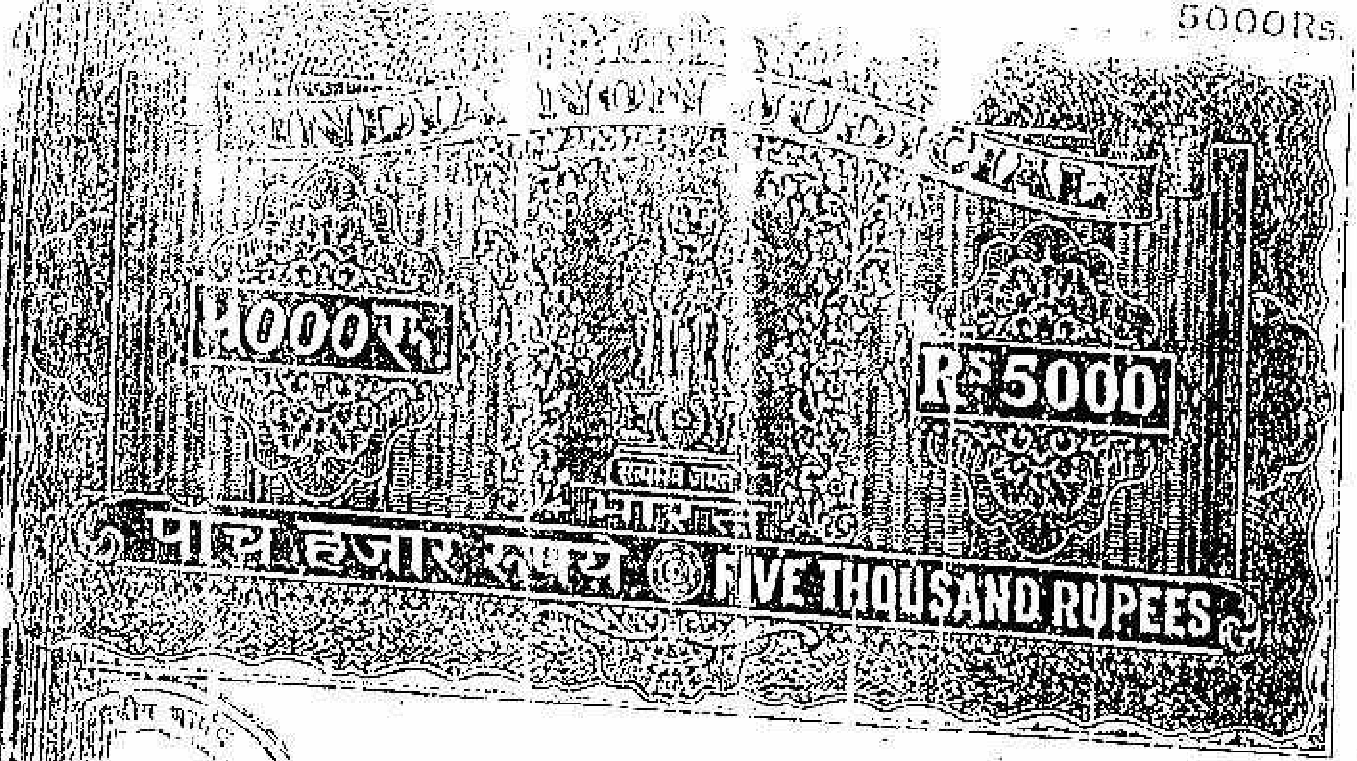

/10/

हरीशंकर नवानिया एडवोकेट तहसील, सदर आगरा.

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

5000 रु.

Rs 5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

/11/

व टाइप बाई सुरेश कुमार तहसील परिसर आगरा व इकरार मुकिर के तहरीर किया गया ।

Drafted by
H. S. Lavani,
Advocate
Sadar Tehsil
AGRA

[illegible]

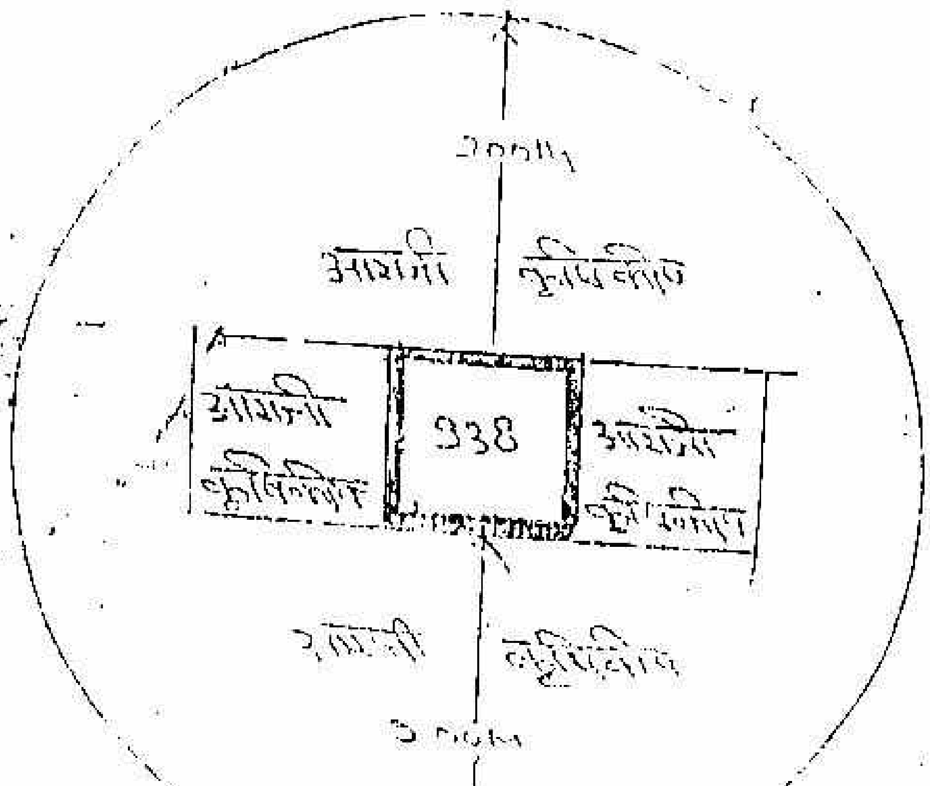
938

स्टाम्प विक्रय की तिथि..........

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन..........

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता..........

....

स्टाम्प की धनराशि..........

निवास बंसल
स्टाम्प वेण्डर
ला० नं० 40, अवधि 31 मार्च 200[illegible]
तहसील सदर, आगरा